कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

जयनारायण सिंह वगैरह बनाम् अभिनन्दन प्रताप सिंह वगैरह

जमाबंदी रद्द वाद संख्या.....01...../2021-22

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

23.12.21

आवेदक जयनारायण सिंह पिता स्व0 बैजनाथ सिंह मौजा बागोडीह थाना सरिया जिला गिरिडीह द्वारा आवेदन पत्र देकर सूचित किया है कि, मौजा बागोडीह थाना नम्बर 38 के अन्तर्गत खाता नं0 111 प्लॉट नं0 705 में अभिनन्दन प्रताप सिंह पिता स्व0 दीपलाल सिंह मौजा छत्रबाद थाना नं0 36 द्वारा फर्जी भूदान पर्चा के माध्यम से पंजी II के भोलुम नं0 10 पेज नं0 154 रकवा 1.90 एकड़ तथा मीरा सिंह के नाम से दूसरा किता भूदान पर्चा के माध्यम से पंजी II के भोलुम नं0 10 पेज नं0 193 रकवा 2.03 एकड़ का जमाबंदी कायम किया गया है। इसे नियमानुसार रद्द किया जाय।

इस आवेदन पत्र की जाँच अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा किया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि का किस्म जंगल है एवं भूमि पर दावा भूदान के आधार पर किया जा रहा है जो संदेहात्मक है।

उक्त भूमि पर दावा प्रभुनारायण सिंह मौजा बागोडीह द्वारा लिखित आवेदन समर्पित किए हैं तथा प्रथम पक्ष बनने हेतु अनुरोध किए हैं।

अतः अंचल अधिकारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। उभय पक्षों को विहित प्रपत्र 4(h) के तहत् नोटिस निर्गत करें।

23/12/21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया।

अभिलेख दिनांक 12/1/22 को रखें।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

2

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12.1.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उप०। अभिलेख दिनांक 9.2.22 को रखें।	
9.2.22	उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष का जवाब दाखिल। TO 2/3/22 for argument. (हस्ताक्षर) 9/2/22	
2.3.22	उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। द्वितीय पक्ष दस्तावेज दाखिल करने हेतु समय की माँग की गई, जिसे स्वीकृत किया जाता है। दिनांक 9/3/22 को दस्तावेज दाखिल करें। (हस्ताक्षर) 2/3	
9/3/22	उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा पर्ची सबूत के साथ दस्तावेज दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आदेशार्थ (हस्ताक्षर) 9/3/	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11/3/22	प्रस्तागत बाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर अंचल अधिकारी, चरिया के प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। आवेदक के अनुसार मौजा - बाजोडीह थाना सं०-38, खाता -111, प्लाट- 705 जो गैरमजरूआ खास खाते की जमीन है, जिसमें एक किता वर्तमान पंजी-II में रकबा 1.90 एकड़ भूमि की मौजा अभिनन्दन प्रताप सिंह एवं दूसरा किता उनकी पत्नी मीरा सिंह के नाम से पंजी-II में मौजा कायम है। इसी भूमि की बन्दोबस्ती भूतपूर्व जमींदार रामेश्वर प्रसाद द्वारा 06.05.1933 में प्रथम के पूर्वज के नाम से की गई थी, जिसकी जमाबंदी कायम होकर आज तक रसीद निर्गत है। इस प्रकार दो एक ही भूमि की जमाबंदी दो अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से कायम है। उभय पक्ष को बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत फार्म B(C) में नोटिस निर्गत कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (4)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में 1933 में निर्गत हुकमनामा की प्रति, पुराना पंजी-II की प्रमाणित छाया प्रति, जिसमें वर्ष 1955-56 में डिमान्ड खोला गया है, निर्गत लगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। साथ ही खाना सं०-74 का सर्वे खतियान की छाया प्रति दाखिल किया गया है जो प्रथम पक्ष के पूर्वज भदु सिंह के नाम से है। विवादित भूमि भदु सिंह के अन्य लगों के बीच में है तथा जमींदारी काल से उनका दखल-कब्जा है।	
	द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा मीरा सिंह पति अभिनन्दन प्रताप सिंह के नाम से बिहार भूदान यज्ञ कमिटि के द्वारा निर्गत पर्चा की छाया प्रति तथा दिनांक 02.10.2012 को निर्गत फार्म-10 की छाया प्रति, तथा वर्ष 2021-21 का लगान रसीद की छाया	4.05.1989 में

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (5)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पुनः दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील एवं दाखिल दस्तावेजों से निम्न बातें सामने आई -

(1) प्रथम पक्ष का बन्दोबस्ती पर्चा वर्ष 1933 का है जबकि द्वितीय पक्ष का वर्ष 1958 एवं 1989 का है।

(2) वर्ष 1958 में निर्गत दाखिल भूदान पर्चा जिसके आधार पर द्वितीय पक्ष दावा करते हैं सभापति का हस्ताक्षर नहीं है। जो प्रथम द्रष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है।

(3) भूदान पर्चा सिर्फ भूमिहीन रैयत को देने का प्रावधान है, जबकि द्वितीय पक्ष को सर्वे खतियान के आधार पर खाता 7079 में 12.97 एकड़ तथा भूतपूर्व जमींदार द्वारा बन्दोबस्त 5.00 एकड़ भूमि हासिल है। भूदान पर्चा इस कारण से द्वितीय पक्ष को दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(6)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
५ 1	2	3
	(4) प्रश्नगत भूमि और मजरूआ खास खाते की है तथा जमींदार उन्मूलन के पश्चात् यह भूमि सरकार में निहित हो गई है। इस भूमि के दान के सम्बन्ध में बिहार भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा-12 उल्लेख किया गया है कि जो जमीन जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकार में Vest हो गई उसे भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा दान-पत्र के माध्यम से भू-दान यज्ञ समिति को दान स्वरूप दिया जाना नहीं माना जाएगा। भूतपूर्व जमीन्दारों द्वारा दान स्वरूप दी गई जमीन के बदले उन्हें क्षतिपूर्ति (Compensation) का भुगतान देय नहीं होगा। भूतपूर्व जमींदार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि को छोड़ने या अदेयता का कोई प्रमाण द्वितीय पक्ष के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही अपने मौखिक एवं लिखित	

7

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5	दलील में इसका जिक्र किया गया है। (5) द्वितीय पक्ष के भूदान पर्चा में जमीन दान करने वाले जमींदार का नाम ठाकुर सिवनाथ सिंह बताया गया है जो जाति के खेरवार हैं जो ~~[illegible]~~ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अंतर्गत उपायुक्त की पूर्वानुमति के बिना भूमि का हस्तानान्तरण नहीं कर सकते हैं। (6) कार्यालय मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय गिरिडीह के पत्रांक 410 भूदान दिनांक 12.02.2021 द्वारा मीरा सिंह पति अभिनन्दन प्रताप सिंह के भूदान प्रमाण-पत्र का सत्यापन किया गया है जबकि वर्ष 2012 में ही उपायुक्त गिरिडीह द्वारा जिला भूदान यज्ञ समिति के सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इस प्रकार उनका सत्यापन पत्र भी संदेहास्पद है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (8)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6 1	2	3

(7) अंचल अधिकारी सरिया द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय पक्ष की जमाबंदी को संदेहास्पद बनाया गया है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी कानून सही ढंग से कायम हुई है तथा उसके कायम होने का कोई उचित आधार उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा LAP No. 425/2006 में पारित आदेश की कंडिका 24 का उल्लेख प्रासंगिक होगा।—

"24. ....., We hold that Jamabandi standing in the name of a particular person can be cancelled in appropriate cases such as when it is brought to the notice of the revenue authorities that the order for creating Jamabandi has been passed by an authority who has not no authority or jurisdiction at all or where

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

the same is found to be based on the apparent error of record/facts or on law but of course, after giving prior notice and an opportunity of hearing to the concerned person, who interest would be adversely affected."

अतः दिनेश दास के नाम से कायम जमाबंदी पंजी-II के भोलुम नम्बर 10 पेज सं० 154, रकबा 1.90 एकड़ तथा पंजी-II के भोलुम सं० 10 के पेज सं० 193 रकबा 2.03 एकड़ को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रतर कार्यवाई हेतु अभिलेख ~~[illegible]~~ अपर समाहर्ता, गिरिडीह को भेजें।

[signature] 11/3/22

प्र० उप समाहर्ता
सरिया-बगोदर

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.07.20 13:04:03 +05:30
Location: 192.168.1.7